51/C

कृषि उपज विपणन समिति

(राष्ट्रीय महत्व की मण्डी)
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)

कार्यालय परिसर, नई फल मण्डी, फेज–II, सराय पीपल थला, आजादपुर, दिल्ली–33
फोन–27691807, 27691804, फैक्स–27691762, 27691668

संख्या: C-11013/(14)06/VIG(32)/2014/VIG/166 दिनांक: 20/04/15

सूचना

श्री शम्भू नाथ सुपुत्र श्री सुगन राम, जिनका विभाग के रिकार्ड के अनुसार निवास स्थान है:- मकान न0–28, डबल स्टोरी, चन्द्रावल, दिल्ली–110054, तथा यह उप स्थल (ओखला), कृषि उपज विपणन समिति, आजादपुर, दिल्ली–110033 में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत् हैं, वह बिना किसी पूर्व सूचना व स्वीकृती के अपने कार्य से दिनांक 25 फरवरी 2014 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं।

श्री शम्भू नाथ सफाई कर्मचारी के दिनांक 25 फरवरी 2014 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण विभाग के अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अनुसार चार्ज शीट ज्ञापन संख्या C-11013/(14)06/VIG(32)/2014/VIG/157 दिनांक 26 फरवरी 2015 जारी किया गया, जो कि इनके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था यह पत्र वितरित हुए बगैर ही इस कार्यालय में वापस प्राप्त हुआ है, इसके उपरान्त इस पत्र को विशेष संदेश वाहक द्वारा भी भेजा गया, जिसके द्वारा यह सूचित किया गया कि, उक्त पता श्री शम्भू नाथ का नहीं है और न ही श्री शम्भू नाथ इस पते पर निवास करते हैं।

अतः इस सूचना के माध्यम से श्री शम्भू नाथ सुपुत्र श्री सुगन राम को यह सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के अन्दर–अन्दर अपने कार्यालय में उपस्थित हो तथा चार्ज शीट ज्ञापन दिनांक 26 फरवरी 2015 का जवाब दें। अगर वह अपने कार्यस्थल पर उपरोक्त समयानुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जाएगा कि वह कार्यभार सम्भालने के इच्छुक नहीं हैं तथा विभाग द्वारा उनके विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपील) नियमावली, 1965 के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

उप–सचिव(सतर्कता),
ए.पी.एम.सी, आजादपुर

दिल्ली कृषि विपणन परिषद

(रा० रा० क्षे० दिल्ली सरकार)

9, संस्थानिक क्षेत्र, पंखा रोड, जनक पुरी, नई दिल्ली–110058

संख्याः C-11013/(14)06/VIG(32)/2014/ 157

दिनांक 26/02/2015

ज्ञापन

मैं, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण व अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अनुसार श्री **शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी सुपुत्र श्री सुगन राम** के विरूद्ध जाँच करवाना चाहता हूँ। दुराचार या दुर्व्यवहार के उन लाछनों की विषयवस्तु संलग्न आरोप–पत्र (प्रथम परिशिष्ट) के विवरण में उल्लिखित है जिनके बारे में जाँच करवाई जानी है। प्रत्येक आरोप के पक्ष में दुराचरण या दुर्व्यवहार के लाछनों का विवरण (द्वितीय परिशिष्ट) पर संलग्न है। उन प्रलेखों की सूची जिनके द्वारा, तथा उन गवाहों की सूची जिनके द्वारा आरोप सिद्ध किए जाने हैं, वे (तृतीय व चतुर्थ परिशिष्ट) पर संलग्न है।

2. श्री शम्भू **नाथ**, सफाई कर्मचारी **सुपुत्र श्री सुगन राम** को निर्देश दिया जाता है कि इस ज्ञापन की प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर अपने बचाव के पक्ष में लिखित ब्यान प्रस्तुत करें तथा यह भी उल्लेख करें कि क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई के इच्छुक हैं या नहीं।

3. उन्हें सूचित किया जाता है कि जाँच केवल उन आरोपों के बारे में होगी जो उन्होंने स्वीकार नहीं किए है। अतः वह प्रत्येक आरोप को स्पष्टतः स्वीकार या अस्वीकार करें।

4. श्री शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी **सुपुत्र श्री सुगन राम** को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त पैरा 2 में उल्लिखित तिथि को या इससे पहले अपने बचाव के पक्ष में लिखित ब्यान नहीं प्रस्तुत करते है या जाँच प्राधिकारी के सामने स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं या केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 या उक्त नियमावली के अनुसरण में जारी आदेशों/निर्देशों के उपबन्धों का अनुपालन करने में या तो विफल रहते है या अस्वीकार करते है, तो जाँच प्राधिकारी एक पक्षीय जाँच करा सकते हैं।

5. **श्री** शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी **सुपुत्र श्री सुगन राम** का ध्यान केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 20 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन अपनी सेवाओं सम्बन्धी अपने हित साधन के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी पर किसी प्रकार का राजनीतिक या बाह्य प्रभाव नहीं डालेगा या डालने का प्रयास नहीं करेगा। यदि इस कार्यवाही से सम्बद्ध किसी मामले के बारे में किसी अन्य व्यक्ति से उसकी ओर से कोई अभ्यावेदन–पत्र प्राप्त होता है, तो यह समझा जाएगा कि **श्री शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी सुपुत्र श्री सुगन राम** इस प्रकार के अभ्यावेदन–पत्र के बारे में जानते हैं तथा अर्थात उनकी शह पर किया गया है और उसके विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 20 के उल्लंघन के लिए कार्यवाही की जाएगी।

6. इस ज्ञापन की प्राप्ति सूचना दी जाए।

(वेद प्रकाश राव)
भा०प्र०से०
उपाध्यक्ष, डी०ए०एम०बी०
अनुशासनिक प्राधिकारी

श्री शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी
सुपुत्र श्री सुगन राम,
मकान न0–28, डबल स्टोरी,
पुराना चन्द्रावल, दिल्ली–110054

प्रथम परिशिष्ट

श्री शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी सुपुत्र श्री सुगन राम के विरूद्ध लगाए गए आरोपों का विवरण –

आरोप

यह कि उक्त श्री शम्भू नाथ सुपुत्र श्री सुगन राम, कृषि उपज विपणन समिती (एम०एन०आई०) आजादपुर के उप–स्थल (ओखला) में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत् रहते हुए बिना किसी पूर्व सूचना व स्वीकृती के अपने कार्य से दिनाक 25 फरवरी 2014 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, जो कि श्री शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अंतर्गत उल्लंघन किया गया है।

2. यह कि उक्त श्री शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी सुपुत्र श्री सुगन राम ने कार्यालय द्वारा बार–बार जारी किए जा रहे निर्देशों व आदेशों का पालन नहीं किया है व दिनांक 25 फरवरी 2014 से अनधिकृत रूप से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का कारण बताने में भी विफल रहे हैं।

3. उपरोक्तानुसार उक्त श्री शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी सुपुत्र श्री सुगन राम द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1) i से iii का उल्लंघन किया गया है।

20/2/15

(वेद प्रकाश राव)
भा०प्र०से०
उपाध्यक्ष, डी०ए०एम०बी०,
अनुशासनिक प्राधिकारी

द्वितीय परिशिष्ट

श्री शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी सुपुत्र श्री सुगन राम के विरूद्ध दुराचरण के लांछन का विवरण:–

आरोप

श्री शम्भू नाथ सुपुत्र श्री सुगन राम, कृषि उपज विपणन समिती (एम०एन०आई०) आजादपुर के उप–स्थल (ओखला) में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत् रहते हुए बिना किसी पूर्व सूचना व स्वीकृती के अपने कार्य से दिनांक 25 फरवरी 2014 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं जो कि श्री शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अंतर्गत उल्लंघन किया गया है।

श्री कुलदीप सिंह राणा, सहायक सफाई निरीक्षक (अब सफाई निरीक्षक), जो कि कृषि उपज विपणन समिति, आजादपुर के उप–स्थल (ओखला) में सफाई स्टाफ के इंचार्ज हैं, द्वारा श्री राज कुमार, उप–सचिव (ओखला) / श्री विजय सिंह, सहायक सचिव (प्रथम) (ओखला) के हस्ताक्षर सहित कार्यालय में रिपोर्ट दिनांक 02.04.14, 19.05.14, 31.05.14, 30.06.14, 19.07.14, 30.07.14, 13.08.14, 06.09.14, 24.09.14, 12.10.14, 03.11.14, 17.11.14 व दिनांक 03.01.15 द्वारा यह सूचना दी गई कि श्री शम्भू नाथ सुपुत्र श्री सुगन राम, जो कि उप–स्थल (ओखला) में बतौर सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत् हैं, बिना किसी पूर्व सूचना व स्वीकृति के अपने कार्य से दिनाक 25 फरवरी 2014 से अनुपस्थित चल रहे हैं।

इन सूचनाओं के आधार पर उक्त श्री शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी सुपुत्र श्री सुगन राम को, श्री विजय सिंह, सहायक सचिव (प्रथम), प्रशासन सफाई कि ओर से ज्ञापन संख्या 449 दिनाक 22 मई 2014 व श्री श्याम लाल शर्मा, सहायक सचिव (प्रथम), प्रशासन सफाई कि ओर से अनुस्मारक संख्या 596 दिनांक 08 जुलाई 2014, जो कि इनके निवास स्थान पर डाक द्वारा भेजे गए थे, द्वारा यह निर्देश दिया गया कि सात दिनों के अन्दर–अन्दर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होकर व अनुपस्थित रहने का कारण लिखित रूप से स्पष्ट करें, अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। परन्तु इस संबंध मे, श्री शम्भु नाथ, सफाई कर्मचारी की ओर से कोई भी जवाब कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी सुपुत्र श्री सुगन राम से उपरोक्त ज्ञापन व अनुस्मारक की प्रतिक्रिया ना मिलने पर कार्यालय के श्री हंस राज, उप–सचिव, सफाई प्रशासन शाखा कि ओर से कारण बताओ नोटिस संख्या 674 दिनांक 06 अगस्त 2014 व अन्तिम कारण बताओ नोटिस संख्या 887 दिनांक 22 सितम्बर 2014, जो कि इनके निवास स्थान पर डाक द्वारा भेजे गए थे परन्तु नोटिस संख्या 887 दिनांक 22 सितम्बर 2014 कार्यालय में डाक द्वारा वापस प्राप्त हुआ है। उपरोक्त द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि श्री शम्भु नाथ, सफाई कर्मचारी, तुरन्त अपनी ड्यूटी पर उपस्थित हों, यदि वह बिमार चल रहे है तो भी सात दिनों के अन्दर–अन्दर चिकित्सा अधिकारी, ए.पी.एम.सी. आजादपुर के समक्ष मेडिकल जाँच हेतु उपस्थित हों, अन्यथा इनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। परन्तु श्री शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी द्वारा इनकी भी अनुपालना नहीं कि गई व श्री शम्भु नाथ, सफाई कर्मचारी, वर्तमान तक अपने कार्य से अनुपस्थित चल रहे हैं।

उपरोक्तानुसार श्री शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी सुपुत्र श्री सुगन राम ने कार्यालय द्वारा बार–बार जारी किए जा रहे निर्देशों व आदेशों की अनुपालना नहीं की है व दिनांक 25 फरवरी 2014 से अनधिकृत रूप से अपने कार्य से अनुपस्थित रहने का कारण बताने में भी विफल रहे हैं।

अतः श्री शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1) i से iii का उल्लंघन किया गया है।

(वेद प्रकाश राव)
भा०प्र०से०
उपाध्यक्ष, डी०ए०एम०बी०
अनुशासनिक प्राधिकारी

तृत्तीय परिशिष्ट

उन प्रलेखों की सूची, जिनके द्वारा **श्री शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी** सुपुत्र श्री सुगन राम के विरूद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध किए जाने प्रस्तावित हैं:–

01. श्री कुलदीप सिंह राणा, सहायक सफाई निरीक्षक द्वारा दी गई अनुपस्थित रिपोर्ट संख्या ए.पी. एम.सी./एस.वाई.ओ./2039 दिनांक 2 अप्रेल 2014।
02. श्री कुलदीप सिंह राणा, सहायक सफाई निरीक्षक द्वारा दी गई अनुपस्थित रिपोर्ट संख्या ए.पी. एम.सी./एस.वाई.ओ./2375 दिनांक 19 मई 2014।
03. श्री कुलदीप सिंह राणा, सहायक सफाई निरीक्षक द्वारा दी गई अनुपस्थित रिपोट संख्या डी. एस./ओखला/2498 दिनाक 31 मई 2014।
04. श्री कुलदीप सिंह राणा, सहायक सफाई निरीक्षक द्वारा दी गई अनुपस्थित रिपोर्ट संख्या ए.पी. एम.सी./एस.वाई.ओ./2703 दिनांक 30 जून 2014।
05. श्री कुलदीप सिंह राणा, सहायक सफाई निरीक्षक द्वारा दी गई अनुपस्थित रिपोर्ट संख्या ए.पी. एम.सी./एस.वाई.ओ./2866 दिनांक 19 जुलाई 2014।
06. श्री कुलदीप सिंह राणा, सहायक सफाई निरीक्षक द्वारा दी गई अनुपस्थित रिपोर्ट संख्या ए.पी. एम.सी./एस.वाई.ओ./2896 दिनांक 30 जुलाई 2014।
07. श्री कुलदीप सिंह राणा, सहायक सफाई निरीक्षक द्वारा दी गई अनुपस्थित रिपोर्ट संख्या ए.पी. एम.सी./एस.वाई.ओ./2972 दिनांक 13 अगस्त 2014।
08. श्री कुलदीप सिंह राणा, सहायक सफाई निरीक्षक द्वारा दी गई अनुपस्थित रिपोर्ट संख्या ए.पी. एम.सी./एस.वाई.ओ./3044 दिनांक 6 सितम्बर 2014।
09. श्री कुलदीप सिंह राणा, सहायक सफाई निरीक्षक द्वारा दी गई अनुपस्थित रिपोर्ट संख्या ए.पी. एम.सी./एस.वाई.ओ./3145 दिनांक 24 सितम्बर 2014।
10. श्री कुलदीप सिंह राणा, सहायक सफाई निरीक्षक द्वारा दी गई अनुपस्थित रिपोर्ट संख्या ए.पी. एम.सी./एस.वाई.ओ./3199 दिनांक 12 अक्टूबर 2014।
11. श्री कुलदीप सिंह राणा, सहायक सफाई निरीक्षक द्वारा दी गई अनुपस्थित रिपोर्ट संख्या ए.पी. एम.सी./एस.वाई.ओ./3333 दिनांक 3 नवम्बर 2014।
12. श्री कुलदीप सिंह राणा, सहायक सफाई निरीक्षक द्वारा दी गई अनुपस्थित रिपोर्ट संख्या ए.पी. एम.सी./एस.वाई.ओ./3437 दिनांक 17 नवम्बर 2014।
13. श्री कुलदीप सिंह राणा, सहायक सफाई निरीक्षक द्वारा दी गई अनुपस्थित रिपोर्ट संख्या ए.पी. एम.सी./एस.वाई.ओ./3703 दिनांक 03 जनवरी 2015।
14. श्री विजय सिंह, सहायक सचिव (प्रथम) प्रशासन सफाई द्वारा जारी किया गया ज्ञापन संख्या 449 दिनांक 22 मई 2014।
15. श्री श्याम लाल शर्मा, सहायक सचिव (प्रथम) प्रशासन सफाई द्वारा जारी किया गया अनुस्मार संख्या 596 दिनांक 08 जुलाई 2014।
16. श्री हंस राज, उप–सचिव, सफाई प्रशासन शाखा द्वारा जारी किया गया कारण बताओ नोटिस संख्या 674 दिनांक 06 अगस्त 2014।
17. श्री हंस राज, उप–सचिव, सफाई प्रशासन शाखा द्वारा जारी किया गया अन्तिम कारण बताओ नोटिस संख्या 887 दिनांक 22 सितम्बर 2014।

20.2.2015

(वेद प्रकाश राव)
मा०प्र०से०
उपाध्यक्ष, डी०ए०एम०बी०,
अनुशासनिक प्राधिकारी

चतुर्थ परिशिष्ट

उन गवाहों की सूची जिनके द्वारा **श्री शम्भू नाथ, सफाई कर्मचारी,** सुपुत्र श्री सुगन राम के विरूद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध किए जाने प्रस्तावित हैः–

01. श्री राज कुमार, उप–सचिव।

02. श्री हंस राज, उप–सचिव।

03. श्री श्याम लाल शर्मा, सहायक सचिव (प्रथम)।

04. श्री विजय सिंह, सहायक सचिव (प्रथम)।

05. श्री कुलदीप सिंह राणा, सहायक सफाई निरीक्षक (अब सफाई निरीक्षक)।

20.3.2015

(वेद प्रकाश राव)
भा०प्र०से०
उपाध्यक्ष, डी०ए०एम०बी०,
अनुशासनिक प्राधिकारी